न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15/2018/प्रा.पत्र/2018	08.02.2018	20.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री शिवदास एफ.बी.ओ. मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन मेन मार्केट दूनी जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 3 आवां रोड दूनी जिला टोंक
2– मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन मेन मार्केट दूनी जिला टोंक
3–श्री गोपाल लाल पुत्र श्री ताराचन्द मंगल प्रोपरायटर मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. निवासी महाजन मोहल्ला देवली जिला टोंक
4–मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक
5–श्री उत्तम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीलाल अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बैण्डवैगन्स मल्टीट्रेड प्रा. लि. 4–जवाहर नगर, मेन रोड कोटा
6–मैसर्स बैण्डवैगन्स मल्टीट्रेड प्रा. लि. 4–जवाहर नगर, मेन रोड कोटा
...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.ए. एक्ट रूल्स 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।

2–अप्रार्थीगण व उनके अभिभाषक अनु.।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 20.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.03.2017 को समय 03:01 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन मेन मार्केट दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री शिवदास उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन ने स्वयं को मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन मेन मार्केट दूनी जिला टोंक का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** जिसके बैच नं. 12 व पैकिंग दिनांक दिसम्बर 2016 थी, 499–499 ग्राम के 12 नग दुकान की रैक में रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विकेता श्री चन्द्रप्रकाश जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विकेता को सूचित कर दो प्रतियों में विकेता श्री चन्द्रप्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 499–499 ग्राम के 4 नग खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 499–499 ग्राम के 4 नग **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** को एक–एक नगर अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में रखा एवं प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1605 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1605 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री शिवदास एफ.बी.ओ. मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन मेन मार्केट दूनी जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने मैसर्स ताराचन्द गोपाल लाल सदर बाजार देवली जिला टोंक को फार्म नं. 5 ए की सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज के साथ बतौर वारन्टी मैसर्स बैण्डवैगन्स मल्टीट्रेड प्रा. लि. 4–जवाहर नगर, मेन रोड कोटा का बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स बैण्डवैगन्स मल्टीट्रेड प्रा. लि. 4–जवाहर नगर, मेन रोड कोटा को फार्म नं. 5 ए की सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/1948 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकअजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/233/एक्ट/2017/233 दिनांक 13.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack) एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(i)** का उल्लंघन के कारण **असुरक्षित (Unsafe)**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र स्व. श्री शिवदास एफ.बी.ओ. मैसर्स चन्द्रप्रकाश हंसराज जैन मेन मार्केट दूनी जिला टोंक को भिजवायी गयी।

श्री उत्तम चन्द अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीलाल अग्रवाल डायरेक्टर मैसर्स बैण्डवैगन्स मल्टीट्रेड प्रा. लि. 4–जवाहर नगर, मेन रोड कोटा द्वारा रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् समयावधि में नमूना पुनः जांच हेतु आवेदन मय जांच फीस के प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर नमूना जांच हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर कर्नाटक मय मेमोरेन्डम फार्म भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जांच रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यू.सी.एल. /एफ.एस.एस.ए/ 335 एफ/2017 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार उक्त नमूना एफ.एस.एस. ए. की धारा 3(1)(zx) के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं।

मैसर्स बैण्डवैगन्स मल्टीट्रेड प्रा. लि. 4–जवाहर नगर, मेन रोड कोटा द्वारा फार्म नं. 5ए के लिए भेजे गए पत्र का प्रतिउत्तर नहीं देने पर उक्त फर्म के व्यवहारी को अन्य पत्र भी प्रेषित किए जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किए।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.01.2019 को अप्राथीगण की और से श्री कैलाश अहुलवालिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी देसी प्रीमियम डेयरी ब्राईट मूल पैक (Ghee Desi Premium Dairy Bright Brand Origional pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 4,00,000/– (अक्षरे चार लाख रू.) तथा अप्रार्थी सं.

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000/-(अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0